Capacity Building Training to BLOs and Supervisors

Election Department
Rajasthan

TOPICS To Be DISCUSSED IN THIS PRESENTATION-

- Electoral Rolls
- GARUDA BLO App
- **Legal and MCC**
- General and EVM & VVPAT
- SVEEP
- Accounts

विधिक परिपेक्ष्य

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (ख)(2) के प्रावधानों के अधीन बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती हैं।
- निर्वाचक नामावालियों में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 में केवल **दो शर्तें** विहित हैं:–
  - मतदाता द्वारा अर्हता की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो एवं
  - किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासरत हो

- इन दो शर्तों के अतिरिक्त बूथ स्तरीय अधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में निर्वाचक नामावली में मतदाता के रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए **निरर्हरताओं** का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक हैं, जिसमें निम्न बिन्दु विशेष तौर से ध्यान दिये जाने योग्य हैं:—
  - की मतदाता भारत का नागरिक नहीं हैं,
  - इसी प्रकार धारा 16 में विकृतचित व्यक्ति के भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रर्ड किये जाने पर निरर्हता होगी, यदि सक्षम न्यायालय की ऐसी कोई घोषणा या आदेश हो।
  - इसी प्रकार धारा 16 में निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराध के संबंध में दोषसिद्धी पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11(क) का कोई आदेश होने की स्थिति में भी ऐसा मतदाता निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हित होगा।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 (ख) के तहत्, मतदाता जिस वर्ष में निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही हैं अथवा पुर्नरीक्षण किया जा रहा हैं, उस वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जानी चाहिए। उदाहरण के लिए **यदि किसी मतदाता की आयु 18.08.2021 को 18 वर्ष की होती हैं, तो उसका रजिस्ट्रीकरण वर्ष 2022 में ही किया जा सकेगा।**
- इसी प्रकार यदि कोई महिला जो कि **विदेशी** है, तथा जिसके द्वारा भारत में किसी पुरूष से विवाह किया गया है, तथा वह भारत में ही मामूली तौर से निवासरत है, उसे मतदाता के रूप में तब तक रजिस्टर्ड नही किया जा सकता है, जब तक कि उस **महिला को नागरिकता** प्राप्त ना हो गई हो।

- लोक प्रधिनिधत्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में मामूली तौर से निवास के मतलब को स्पष्ट किया गया है, जिसमें केवल किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व अथवा कब्जे से यह नहीं माना जायेगा कि वह उस क्षेत्र का निवासी है। जैसे कि यदि कोई श्रमिक अपने रोजगार के कारण किसी निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है, तो उसे **मामूली तौर से निवासी** नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई मतदाता अपने मामूली निवास स्थान से अस्थाई रूप से अनुपस्थित है तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह मामूली तौर पर निवासी नही रहा है।

- इसी प्रकार **भारत से बाहर** निवास कर रहे, भारत के नागरिकों के लिए भी नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि वह अन्य देश का नागरिक नहीं बना है और वह अपने मामूली निवास स्थान से नौकरी, शिक्षा या अन्य कारण से बाहर है। ऐसी स्थिति में ऐसे मतदाता के पासपोर्ट में उल्लेखित निवास स्थान पर अपना नाम रजिस्टर कराने का हकदार होगा।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की **धारा 22** के तहत जहाँ **निर्वाचक नामवालियों में शुद्धि** के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है अथवा **धारा 23** के तहत निर्वाचन नामवली में नाम को सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तथा यदि ऐसे आवेदन पत्र पर पारित किसी आदेश को चुनौती दी जानी हो तो उक्त आदेश की अपील जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या समतुल्य अधिकारी को की जा सकेगी। ऐसे किसी अपील में पारित आदेश के विरूद्व अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को होगी।

- निर्वाचक नामवालियों की तैयारी में शामिल सभी बूथ स्तरीय अधिकारी, सुपरवाईजर एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा अपने किसी पदीय कर्तव्य का भंग किया जाता है तो ऐसा कार्य न्यूनतम तीन माह के कारावास से जो कि **दो वर्ष तक की हो सकेगी एवं जुर्माने से दण्डनीय** होगा।

आदर्श आचार संहिता परिपेक्ष्य

- विगत कुछ वर्षों में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के संबंध में लोगों में काफी जागरूकता आयी हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों की पालना के लिए निरन्तर निर्देश दिये जाते रहें हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती हैं, जो कि निर्वाचन में परिणाम की घोषणा की तिथि तक लागू रहती हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में, बूथ लेवल अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना अविलम्ब दी जानी चाहिए।

- किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा सार्वजनिक सम्पति के विरूपण किये जाने, अनाधिकृत रूप से झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि का लगाने, मतदाता को प्रभावित करने के लिए शराब, पैसे या इसी प्रकार की कोई भी फ्री बिज दिये जाने की सूचना बूथ लेवल अधिकारी द्वारा तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिए।
- बूथ लेवल अधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, अतः मतदान के समय पोलिंग बूथ पर शांती बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं।

- आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बी.एल.ओ. द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी जा सकती हैं।
- आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो शिकायत की जांच में उच्चाधिकारियों की मदद करना।

धन्यवाद